"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 (फाल्गुन 27, 1934)

क्रमांक-4421/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) जो दिनांक 18 मार्च, 2013 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013

विषय सूची

खण्ड

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

3. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन.
4. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया.
5. अपील.

अध्याय-तीन

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र का सत्यापन

6. जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति तथा इसकी शक्तियां.
7. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति.

अध्याय-चार

मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र निरस्त एवं जप्त करना

8. मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र निरस्त एवं जप्त करना.
9. मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किए गए लाभ का वापस लिया जाना.

अध्याय-पांच

अपराध एवं शास्ति

10. अपराध एवं शास्ति.
11. इस अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध का संज्ञेय एवं अजमानतीय होना.
12. मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने पर शास्ति.
13. अपराध का दुष्प्रेरण.

अध्याय-छः
विविध

14. सबूत का भार.
15. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाना.
16. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.
17. सद्भावनापूर्वक किये गये कार्य का संरक्षण.
18. अधिनियम किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा और उसके अल्पीकरण में नहीं.
19. नियम बनाने की शक्ति.
20. कठिनाई के निराकरण की शक्ति.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) विधेयक, 2013

राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के हितों को उन व्यक्तियों, जो मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण कपटपूर्वक यह प्रमाणित करते हुए प्राप्त करते हैं कि वे व्यक्ति जनसंख्या के इन वर्गों से संबंधित हैं, से संरक्षित करने, तथा मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने एवं प्राप्त करने के लिए दण्ड का प्रावधान करने और इससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय–एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित अपील की सुनवाई करने हेतु प्राधिकृत किया जाये;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है शासन द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र अथवा प्रयोजन के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु पदाभिहित कोई अधिकारी या प्राधिकारी तथा इसमें इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, ऐसे क्षेत्र या स्थान जिससे आवेदक मूलत: संबंधित हो, पर अधिकारिता रखने वाले ऐसे सभी सक्षम प्राधिकारी सम्मिलित होंगे जिन्हें शासन द्वारा पूर्व से ही पदाभिहित किया गया हो;

(ग) "जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, जिले में गठित समिति;

(घ) "शैक्षणिक संस्था" से अभिप्रेत है कोई संस्थान, जिसमें किसी स्तर पर किसी संकाय में शिक्षा अथवा प्रशिक्षण प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय सम्मिलित है, जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, तथा जहां इस संबंध में प्रश्न उद्भूत हो कि क्या संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान है, तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा;

(ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(च) "उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति" से अभिप्रेत है सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्रों की जांच करने के लिए धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति या समितियां, जिनको ऐसे प्रमाणपत्र, जो गलत तरीके से अथवा कपटपूर्वक अभिप्राप्त करना अभिकथित है, की जांच के लिए, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति या राज्य शासन अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो;

(छ) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है नगरपालिक निगम के क्षेत्राधिकार के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, संबंधित नगरपालिक निगम अथवा राज्य के किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, यथास्थिति, संबंधित नगरपालिक परिषद्, नगर पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखते हैं;

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो अथवा किया जाये;

(झ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित;

(ञ) "लोक नियुक्ति" से अभिप्रेत है राज्य शासन, केंद्र शासन, स्थानीय प्राधिकरण, किसी कंपनी या निगम या शासन के स्वामित्व या नियंत्रण या उसके द्वारा मूल रूप से वित्त पोषित कोई उपक्रम या शासन द्वारा अनुदान प्राप्त कोई संस्थान या सहकारी सोसाइटी या शैक्षणिक संस्थान जिसमें विश्वविद्यालय सम्मिलित है;

(ट) "आरक्षित पद" से अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों, यथास्थिति, से संबंधित व्यक्तियों के लिए, किसी लोक नियुक्ति के संबंध में आरक्षित कोई पद;

(ठ) "आरक्षित सीट" से अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों, यथास्थिति, से संबंधित व्यक्तियों के लिए, किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के संबंध में आरक्षित कोई सीट अथवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों, यथास्थिति, से संबंधित व्यक्तियों के लिए, किसी संवैधानिक निकाय, चाहे वह निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा, नामांकन के द्वारा या अन्यथा भरा जाये, में आरक्षित कोई सीट;

(ड) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ढ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ण) "सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को जारी ऐसा प्रमाणपत्र जिससे यह दर्शित हो कि ऐसा आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, यथास्थिति, से संबंधित है;

(त) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

अध्याय-दो

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन.

3. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई भी व्यक्ति, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में आवेदन करेगा, जैसा कि विहित किया जाये.

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये प्रक्रिया.

4. (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 3 के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी विहित की जाए, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु जहां सक्षम प्राधिकारी का निष्कर्ष हो कि ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के निरस्त किये जाने का पर्याप्त कारण है, तो निरस्त करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा तथा तद्नुसार आवेदक को सूचित करेगा.

(2) इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र, स्थायी प्रकृति का दस्तावेज होगा, जिसकी वैधता समय द्वारा सीमित नहीं होगी:

परन्तु जब आवेदक मूल प्रमाणपत्र खो जाने की घोषणा करता है तब ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी की जा सकेगी.

(3) सक्षम प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र, किसी लोक नियोजन, शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों को उपार्जित किसी लाभ के उपभोग के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा.

अपील.

5. (1) धारा 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई आवेदक, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी लिखित में पर्याप्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे अपील के प्रस्तुत होने में हुए विलंब को क्षम्य कर सकेगा.

(2) अपीलीय प्राधिकारी, तीन माह की कालावधि के भीतर, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे निर्देशों, जो कि समुचित समझे जायें, के साथ सक्षम प्राधिकारी के आदेश की या तो पुष्टि या अपास्त कर सकेगा.

अध्याय-तीन
सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र का सत्यापन

जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति तथा इसकी शक्तियां.

6. (1) राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार, धारा 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, एक या अधिक जिलों पर अधिकारिता रखने वाली एक जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ऐसे स्वरूप में होगी, जैसा विहित किया जाए.

(2) जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के संबंध में, स्वयं के विवेक से या उसके लिए जारी किसी सूचना या संदर्भ के प्राप्त होने पर विहित रीति में ऐसे प्रमाणपत्र का सत्यापन करेगी:

परंतु नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्र शासन या राज्य शासन, यथास्थिति, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, संदर्भित करेंगे, जैसा विहित किया जाए तथा जिला प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का यह कर्तव्य होगा कि नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्र शासन या राज्य शासन, यथास्थिति, को संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर, इसके निष्कर्ष सूचित करें.

(3) जहां प्रथम दृष्टया यह विश्वास करने का कारण हो कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र गलत तरीके से या कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया है, तो जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को समस्त सूचना एवं सुसंगत दस्तावेजों के साथ-साथ इसके निष्कर्षों के अभिलेख भी निर्दिष्ट करेगा:

परंतु जहां जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को प्रतिकूल निष्कर्ष प्राप्त होता है तो उसे उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को तब तक निर्दिष्ट नहीं करेगी जब तक कि व्यक्ति, जिसका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र विवादित है, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता.

(4) जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी तथा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को इस धारा की उप-धारा (3) के अधीन निर्दिष्ट करने हेतु ऐसी समय सीमा का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाये.

7. (1) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 6 के अधीन जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति या राज्य शासन द्वारा उसको निर्दिष्ट सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्रों की जांच करने के लिए एक या अधिक उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति या समितियों का गठन करेगा. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के रिपोर्ट का परीक्षण करे तथा इस अधिनियम के अध्याय-चार के अधीन विहित विषय पर अग्रसर हो.

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति.

(2) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जैसा कि विहित किया जाए:

परंतु यह कि जहां उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंचने का निर्णय लेती है, तो वह तब तक ऐसा नहीं करेगी जब तक कि व्यक्ति, जिसका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र विवादित है, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो.

अध्याय-चार
मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र निरस्त एवं जप्त करना

8. (1) यदि इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन जांच करने के पश्चात् उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की राय हो कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्ण रूप से या कपटपूर्वक प्राप्त किया गया था, तो वह ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, जैसी विहित की जाए, लिखित में आदेश द्वारा प्रमाणपत्र को निरस्त एवं जप्त करेगी.

मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र निरस्त एवं जप्त करना.

(2) इस अधिनियम के अधीन उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम एवं निर्णायक होगा.

9. (1) जो कोई, त्रुटिपूर्ण रूप से या कपटपूर्वक अभिप्राप्त सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए, ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गों के लिए आरक्षित सीट पर प्रवेश प्राप्त करता है या आरक्षित पद पर लोक नियुक्ति प्राप्त करता है तो ऐसे प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण पर, तत्काल, यथास्थिति, शैक्षणिक संस्थान से निकाले जाने या लोक नियुक्ति से विवर्जित होने या ऐसे प्रवेश या नियुक्ति के कारण प्राप्त कोई अन्य हित या लाभ देने से इंकार करने हेतु दायी होगा.

मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किए गए लाभ का वापस लिया जाना.

(2) जो कोई, त्रुटिपूर्ण या कपटपूर्वक अभिप्राप्त सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए, किसी कल्याणकारी योजना के अधीन कोई लाभ या सुविधा, रोकड़, दया या सेवा या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आशयित विशिष्ट उपचार का लाभ लेता है तो धारा 8 के अधीन ऐसे प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण पर ऐसे लाभ या विशिष्ट उपचार, यथास्थिति, से वंचित होने का दायी होगा.

(3) छात्रवृत्ति, अनुदान, भत्ता या कोई अन्य रूप से कोई वित्तीय लाभ किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के आधार पर उपार्जित किया गया हो तो धारा 8 के अधीन निरस्त किया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जाएगा.

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र, जो धारा 8 के अधीन निरस्त किया जाए, के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्था में आरक्षित सीट पर प्रवेश प्राप्त करते हुए व्यक्ति द्वारा उपार्जित डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या कोई अन्य शैक्षणिक अर्हता, निरस्त किया गया एवं कभी भी सम्मानित नहीं किया गया समझा जाएगा.

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र, जो धारा 8 के अधीन निरस्त किया जाए, के आधार पर स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी या किसी अन्य संवैधानिक निकाय या संस्था के अंतर्गत आरक्षित सीट पर निर्वाचित होता है तो ऐसे सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के निरस्त होने की तारीख से, स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी या कोई अन्य संवैधानिक निकाय या संस्था की सदस्यता से निरर्हित हो जाएगा तथा ऐसी आरक्षित सीट उसी समय (तत्काल) रिक्त हुई समझी जाएगी.

अध्याय-पांच
अपराध एवं शास्ति

अपराध एवं शास्ति.

10. (1) जहां सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र धारा 8 के अधीन निरस्त किया गया हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति, कठोर कारावास, जिसकी अवधि तीन माह से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माना जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा.

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति या इस प्रयोजन के लिए उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से लिखित में किये गये शिकायत के अलावा, संज्ञान नहीं लेगा.

इस अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध का संज्ञेय एवं अजमानतीय होना.

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय, अजमानतीय होंगे तथा उनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा.

मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने पर शास्ति.

12. (1) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति या प्राधिकारी, जो मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र कपटपूर्वक जारी करता है, तो वह कठोर कारावास जिसकी अवधि तीन माह से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माना जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा:

परंतु जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति की जांच करते हुए शपथ पत्र के आधार पर तथा सम्यक् तत्परता का पालन करते हुए,

धारा 4 के अधीन विहित रीति में जांच करने के पश्चात् सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, यह नहीं माना जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र को आशयपूर्वक जारी किया गया है.

(2) शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए संज्ञान नहीं लेगा.

13. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, तो ऐसे अपराध के लिए अधिनियम में उपबंधित दण्ड से दण्डित किया जायेगा. — अपराध का दुष्प्रेरण.

अध्याय-छः
विविध

14. जहां कोई आवेदन, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को किया गया है या इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति तथा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा की गई किसी जांच में या अपराध के किसी विचारण में, यह साबित करने का भार कि वह, यथास्थिति, ऐसी जाति, जनजाति या वर्ग से संबंधित सामाजिक प्रास्थिति का है, ऐसे आवेदक पर होगा. — सबूत का भार.

15. इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति तथा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को, इस अधिनियम के अधीन जांच करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां, विशेषतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में प्राप्त होंगी, अर्थात् :— — इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाना.

(क) किसी भी साक्षी को सम्मन भेजने एवं कार्यवाही में उपस्थित रहने एवं उसकी शपथ पर परीक्षा करने;
(ख) कोई भी दस्तावेज प्रकटीकरण करवाने एवं प्रस्तुत करवाने;
(ग) शपथ पत्र पर प्रमाण (साक्ष्य) स्वीकार करने;
(घ) किसी कार्यालय से कोई भी शासकीय अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति आहूत किए जाने की अध्यपेक्षा;
(ङ) साक्षी एवं दस्तावेजों की जांच (परीक्षा) करने के लिए कमीशन जारी करने;
(च) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें.

16. किसी भी सिविल न्यायालय को, किसी वाद या कार्यवाही को जारी रखने या निर्णित करने हेतु ग्रहण करने अथवा कोई डिक्री या आदेश पारित करने अथवा किसी डिक्री या आदेश को पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्पादित करने की अधिकारिता नहीं होगी, यदि ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में शामिल दावे या ऐसी डिक्री या आदेश पारित करने या ऐसे निष्पादन में इस अधिनियम के प्रावधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता हो. — सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.

17. इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किन्हीं नियमों के अनुसरण में, सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्यवाही (कार्य) के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी. — सद्भावनापूर्वक किये गये कार्य का संरक्षण.

18. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त में होंगे, और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे. — अधिनियम किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा और उसके अल्पीकरण में नहीं.

19. (1) शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा. — नियम बनाने की शक्ति.

(2) इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम को इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष, जब सत्र कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, रखा जायेगा और यदि उस सत्र जिसमें उक्त अवधि समाप्त हो, के अवसान होने के पूर्व, विधान सभा संकल्प अंगीकृत करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या इसमें कोई उपान्तरण किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा:

परन्तु ऐसा कोई उपान्तरण या विलोपन, उस नियम के अधीन पूर्व में किये गये किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

कठिनाई के निराकरण की शक्ति.

20. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो शासन, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगा जो कि उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात्, इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा.

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जायेगा.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सुरक्षा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से करने के संबंध में प्रावधान बनाए;

और यत: किसी लोक नियोजन में या किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे व्यक्तियों को दिए गए किसी अन्य लाभ के संबंध में, उनके हितों को संरक्षित करना आवश्यक है, यह महसूस किया जा रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आशयित विशेषाधिकारों और हितों का दुरुपयोग ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है तथा उन्हें उन लाभों एवं विशेषाधिकारों से वंचित किया जा रहा है जो त्रुटिपूर्ण रूप से या कपटपूर्वक मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करते हैं, अत:, ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के वास्तविक दावेदार हैं के हितों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि त्रुटिपूर्ण रूप से या कपटपूर्वक सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने वाले एवं ऐसे मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र आशयपूर्वक जारी करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने एवं दण्ड देने हेतु विधिक प्रावधान निर्मित किये जाएं. विधान मण्डल सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया विनियमित करने हेतु एवं उन व्यक्तियों जो कपटपूर्वक एवं त्रुटिपूर्ण रूप से सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करते हैं तथा जारी करते हैं, को दण्ड देने के लिए उपबंध करने हेतु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 1 सहपठित प्रविष्टि 64 के अधीन विधि अधिनियमित करने हेतु सक्षम है.

और यत: किसी विधि के अभाव में, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के जारी करने एवं सत्यापन के लिए, माधुरी पाटिल विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति विभाग एवं अन्य, ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 94 के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए बंधनकारी निर्देश के परिणामस्वरूप, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने एवं उसके सत्यापन हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया के लिए उपबंध करना आवश्यक है.

इस विधेयक से सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण के विनियमन को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति आशयित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 13 मार्च, 2013.

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों को प्रत्योजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड 1 (3)	अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि सुनिश्चित किये जाने के संबंध में.
खण्ड 4 (1), (2), (3)	सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये प्रक्रिया के संबंध में.
खण्ड 5 (1), (2)	अपील के संबंध में.
खण्ड 6 (1), (2)	जिला स्तरीय प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति तथा इसकी शक्तियों के संबंध में.
खण्ड 7 (1)	उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन करने के संबंध में.
खण्ड 8 (1)	मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र निरस्त एवं जप्त करने के संबंध में.
खण्ड 10 (2)	अपराध एवं शास्ति के संबंध में.
खण्ड 12 (2)	मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने पर शास्ति के संबंध में.
खण्ड 15	अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाने के संबंध में.
खण्ड 19 (1)	नियम बनाने की शक्ति के संबंध में.
खण्ड 20 (1)	अधिनियम के उपबंध को प्रभावशील करने के उत्पन्न कठिनाई के निराकरण करने के संबंध में.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.